

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 1972/फल्गुन 6, 1893

No. 117]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 1972/PHALGUNA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 1972

S.O. 161(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food) No. S. O. 3180, dated the 28th September, 1970 (as subsequently amended), namely:—

In the said notification,—

- (i) for the entry relating to item No. 7, the following entry shall be substituted, namely:—
“Shri Fazlur Rahman, M.L.C., Bihar”;
- (ii) in paragraph 5, for the words, figures and letters “by the 29th February, 1972”, the words, figures and letters “by the 31st August, 1972” shall be substituted.

[No. 2-3/72-Sugar]

G. C. N. CHAHAL, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1972

का० प्रा० 161(अ).—जाच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या का०प्रा० 3180 तारीख 28 सितम्बर, 1970 (पश्चान्वर्ती यथा संशोधित) में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) मद संख्या 7 से सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“श्री फजलुर रहमान, एम०एल०सी० बिहार,”

- (ii) पैरा 5 में “29 फरवरी, 1972 तक” शब्दों, अकों और अक्षरों के स्थान पर “31 अगस्त, 1972 तक” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 2-3/72-सूगर]

ज्ञान चन्द नन्द चौहल, संयुक्त सचिव।